बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न	
श्री अख्तरूल इस्लाम शाहिन, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक –11.07.2014 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन0–12 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	**श्रीमती लेशी सिंह,** प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड समस्तीपुर के धरमपुर मुहल्ला में अप्रैल, 2014 में भीषण आगजनी की घटना घटी जिसमें लगभग पचास घर जल गये तथा लोगों की भारी आर्थिक क्षति हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । दिनांक –24.04.2014 को धरमपुर वार्ड नं0– 1 नगर परिषद क्षेत्र में अगलगी की घटना हुई है, जिसमें 29 (उन्तीस) परिवार प्रभावित हुए हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि वे लोग खुली आकाश के नीचे जीवनयापन करने के लिए बाध्य है परन्तु अभी तक विशेष इन्दिरा आवास योजना का लाभ पीड़ित परिवारों को नहीं उपलब्ध कराया जा सका है ;	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारो को विशेष इन्दिरा आवास का प्रावधान है, परन्तु विभागीय मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंदिरा आवास देने का प्रावधान नहीं रहने के कारण उक्त अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को जो नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, को इन्दिरा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बेघर हुए पीड़ित परिवारों को विशेष इन्दिरा आवास योजना के तहत लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक , नहीं, तो क्यों ?	पीड़ित परिवार इन्दिरा आवास पाने की अर्हता नहीं रखते, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं ।

अनुपूरक उत्तर सामग्री –

उक्त घटना में प्रभावित कुल 29 (उनतीस) पीड़ित परिवारों को तत्काल 4200 (चार हजार दो सौ) नगद, एक क्विं0 खाद्यान्न एवं 1 (एक) पीस पॉलिथीन शीट्स प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराया जा चुका है । आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –2366 दि0–09.07.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को नये मानदर 4700/–रू0 प्रति परिवार की दर से भुगतान करने हेतु शेष 500/– रू0 प्रति परिवार की दर से शेष राशि का भुगतान सभी प्रभावित परिवारों को अविलम्ब करने का निर्देश दिया गया है।

P.T.O

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–34 / 2014 / .... / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय पटना को उनके ज्ञापांक 1721 दिनांक–06.07.2014 के क्रम में 04 (चार) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

2417

ज्ञापांक–04 / वि0स0ता0प्र0–34 / 2014 / आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 14/7/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/7/14
संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 27-6-14 31-7-14\Q ans 8-7-14.docx